


शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा हेतु छात्र/छात्रा आवेदन पत्र

(शैक्षिक सत्र 2018-19 की उपलब्धि के आधार पर)



- (1) छात्र/छात्रा का नाम :
- (2) पिता का नाम
- (3) जन्म तिथि
- (4) कक्षा (जिसमें अध्ययनरत है)
- (5) विद्यालय का नाम
- (6) विद्यालय स्कूलर रजिस्टर क्रमांक
- (7) घर का पत्र व्यवहार का पता
- (8) घर का फोन नं. मोबाईल नं.
- (9) शैक्षिक सत्र 2018-19 में उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण

कक्षा	कुल अंक	प्राप्तांक	उत्तीर्ण प्रतिशत
कक्षा 6 (कक्षा 7 में अध्ययनरत)			
कक्षा 7 (कक्षा 8 में अध्ययनरत)			

10 शैक्षिक सत्र 2018-19 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
1. राष्ट्र स्तर		
2. राज्य स्तर		

11 शैक्षिक सत्र 2018-19 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
1. राष्ट्र स्तर		
2. राज्य स्तर		

आवेदन पत्र के साथ मेरे द्वारा आवेदन प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं। आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य हैं। मैं अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण हेतु जाना चाहता/चाहती हूँ।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अभिभावक द्वारा सहमति

मे नाम अपने पुत्र/पुत्री नाम

..... को विभाग द्वारा आयोजित अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण पांच दिवसीय राजस्थान दर्शन यात्रा पर भेजने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। मेरा पुत्र/पुत्री यात्रा हेतु पूर्णतया स्वस्थ है तथा किसी गंभीर रोग से ग्रसित नहीं है।

हस्ताक्षर
नाम अभिभावक

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित
आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं एवं प्रलेखों की सत्यता की जांच स्वयं मेरे द्वारा कर ली गई है। छात्र/छात्रा के अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए अनुशंसा की जाती है।

(हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय मोहर)


कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करने के संबंध में योजना।

विद्यार्थियों को शैक्षिक ज्ञान के साथ-साथ राज्य के परिवेश, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति ऐतिहासिक स्थल एवं सांस्कृतिक स्थलों की व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध करवाई जानी भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, इस हेतु योजना निम्नानुसार है:-

क्र.स.	शीर्षक	विवरण
01	परिचय	1. राज्य के ऐतिहासिक/सांस्कृतिक/प्राकृतिक धरोहरों से परिचित करवाना। 2. स्थापत्य कला की जानकारी कराना। 3. विद्यार्थियों को प्राकृतिक धरा का आनंद उठाने का अवसर प्रदान करना। 4. विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन से ओत प्रोत् करना। 5. विद्यार्थियों में पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञान की वृद्धि करना।
02	शैक्षिक भ्रमण	अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण एवं विद्यार्थी योग्यता :- 1. भ्रमण अवधि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 7 व 8 के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष दीपावली अवकाश में राज्य के अन्य जिले में 5 दिवसीय राजस्थान दर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक भ्रमण हेतु भेजा जायेगा। 2. विद्यार्थी योग्यता :- (अ) राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 7 व 8 के विद्यार्थी जिन्होंने गत परीक्षा कक्षा 6 व 7 में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। (ब) राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सांस्कृतिक/साहित्यिक/खेलकूद/स्काउट एवं गाईड प्रतियोगिता में भाग लेकर सहभागी/विजेता रहे हों।
03	विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या	अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण-प्रत्येक जिले के 24 विद्यार्थी (कक्षा 7 के 12 व कक्षा 8 के 12) एवं 02 अध्यापक। नोट- मूल सूची के साथ जिला स्तर पर न्यूनतम 08 विद्यार्थियों की आरक्षित सूची भी तैयार की जाये ताकि मुख्य सूची में से कोई विद्यार्थी अपरिहार्य कारण से भ्रमण पर नहीं जा सके तो आरक्षित सूची में से छात्र का चयन कर भ्रमण पर ले जाया जा सके ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
04	मेरिट का निर्धारण	अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रणाली (objective pattern) के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा :- (अ) प्रतिभादान (Scholar) के आधार पर जिले की वरीयता से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के 8+0 छात्र कुल 12 (प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय) का चयन होगा। (ब) गतिविधियाँ (Activities) राज्य पुरस्कार/तृतीय सोपान प्राप्त स्काउट एवं गाईड प्रतियोगिताओं में सहभागिता के आधार पर 12 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। नोट- कुल 24 विद्यार्थियों का दल होगा। चयन हेतु छात्र-छात्रा द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर गणना की जायेगी।
05	विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करना एवं चयन प्रक्रिया	अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण :- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा जिले में संस्था प्रधान के माध्यम से प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों का अवलोकन कर निर्धारित मेरिट प्रक्रिया के द्वारा शैक्षिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर 5 दिवस के लिए भ्रमण पर भेजा जायेगा।
06	यात्रा व्यय	विद्यार्थियों की यात्रा का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। इस हेतु बजट राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। यह बजट संबंधित नोडल अधिकारी को आवंटित किया जायेगा जो संबंधित दिशा निर्देशों एवं वित्तीय नियमों की पालना करते

		हुए व्यय करेगा। अध्यापक की यात्रा का संपूर्ण व्यय यात्रा मत्ता नियमों के तहत राजकीय मद से देय होगा। यह विद्यार्थियों के व्यय में सम्मिलित नहीं होगा तथा समस्त लेखे विधिवत संचालित करते हुए व्यय विवरण सहायक लेखाधिकारी योजना एवं लेखाधिकारी बजट प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को नियमानुसार यथासमय प्रस्तुत करेंगे।
07	नोडल अधिकारी	अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा तथा सर्किल ऑर्गनाइजर स्काउट/गाईड द्वारा भ्रमण की योजना का निर्माण किया जायेगा तथा अपने जिले में आने वाले दल के भ्रमण तथा आवास आदि की व्यवस्था की जावेगी।
08	राजस्थान दर्शन एवं सांस्कृतिक यात्रा	प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अख्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करने के संबंध में अनुमानित व्यय का विवरण :- (अ) विभिन्न मदों में अनुमानित व्यय हेतु विवरण प्रति विद्यार्थी प्रस्तावित व्यय (रुपयों में) किराया- 1500/- भोजन-800, अत्याहार-300/ आवास-500/ स्टेशनरी-200/- अन्य व्यय-188 कुल प्रति विद्यार्थी 3288/- ब) प्रतियोगिताओं में प्रथम से तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार राशि निम्नानुसार देय होगी :- प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 350/- द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 250/- तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 200/-
09	भ्रमण के दौरान ठहराव	भ्रमण के दौरान समस्त संभागी विद्यार्थी एवं एस्कोर्ट शिक्षक जिला मुख्यालय पर स्थित स्काउट हेड क्वार्टर पर ठहरेंगे।
10	अध्यापक का घयन	अध्यापक का घयन-स्काउट/गाईड अध्यापक को प्राथमिकता दी जावेगी।
11	यात्रा दलों की व्यवस्था एवं पर्यवेक्षण	संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा तथा सहायक राज्य संगठन आयुक्त (ए-एल-ओ-सी) यात्राओं का अनुमोदन तथा उनके परिक्षेत्र में आने वाले दलों की यात्रा एवं व्यवस्था का पर्यवेक्षण करेंगे। व्यय का संपूर्ण समायोजन कर अपने कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी से जांचोपरान्त प्रेषित करेंगे। एक जिले के दल व भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारण संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक एवं सहायक राज्य संगठन आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
12	विभिन्न प्रतियोगिताएँ	भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों की कुछ प्रतियोगिताएँ यथा-भ्रमण आलेख, स्विज, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ आदि भी आयोजित की जावे तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण भी किया जावेगा।
13	प्रतिवेदन	अन्तर्जिला दर्शन हेतु शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी विधिवत यात्रा वृत्तान्त लिखेंगे, इन्हें एक क्लर्क एवं एक बालपेन उपलब्ध कराया जावेगा। सभी अध्यापक संभागीयों में से किसी एक को मुख्य प्रतिवेदक (Chief Reporter) यात्रा के प्रबंधक नोडल अधिकारी द्वारा नामित किया जावेगा जो यात्रा उपरान्त सभी यात्रा सहभागी अध्यापकों/विद्यार्थियों से उनकी रिपोर्ट प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।


(आनंद कतेरा)
(अई.ए.एल.)

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज विभाग
बीकानेर